न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 33/2013

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 वागाराम पुत्र दौलाजी जाति कलबी निवासी वाड़ेली तहसील सिरोही		1. ग्राम पंचातय कृष्णगंज तहसील व जिला सिरोही
2 पदमाराम पुत्र उमाजी जाति कलबी निवासी वाड़ेली तहसील व जिला सिरोही		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री धन्नाराम रेबारी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15.12.2017

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2010 वागाराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत कृष्णगंज में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम वाड़ेली के खसरा नम्बर 29 रकबा 1.80 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 109/1104 रकबा 0.63 हैक्टेयर की भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि नदी के पास आई हुई स्थित है। उक्त भूमि के पास की भूमि नदी के कटाव में समाप्त हो चुकी है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में नदी के कटाव के बाद कोई सीमांकन नही होने के कारण यह भूमि राजकीय भूमि बताई जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा नदी के किनारे सडक का निर्माण नरेगा योजना के अन्तर्गत करवाया जा रहा है, जो वादीगण की खातेदारी भूमि में से करवाये जाने का प्रयास करने तथा बिना सीमांकन के निर्माण कार्य करवाये जाने पर आपत्ति जताने पर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट ने उक्त कार्य रोक दिया, जिसे बाद में पुनः आरम्भ करवाया गया। इस पर अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्राबन्द कराने एवं अन्य पुराने रास्ते की भूमि पर ही ग्रेवल सड़क का निर्माण घोषित कराने का अनुतोष चाहा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही जैर अपील आदेश के जरिये वादी का वाद खारिज कर दिया। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसमें प्रतिवादी द्वारा कोई खण्डन, विरोध नही किया गया तथा न ही कोई जवाब अथवा काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश किया तथा न ही कोई शहादत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज करते हुए मात्र कयास के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार रावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर समस्त दस्तावेजात का विधिक परीक्षण कर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 24.06.2011 को उपखण्ड अधिकारी सिरोही के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 91 व 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी द्वारा करवाये जा रहे सड़क निर्माण को रूकवा कर अन्य स्थान से सड़क निर्माण करवाने तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी को मातहत अदालत द्वारा निरन्तर जवाबदावा पेश करने के अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाबदावा का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली में प्रक्रिया अनुसार बहस सुनी जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये, उन दस्तावेजात् का परीक्षण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट 18.08.2010, जो स्वयं अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, उसके अनुक्रम में यह निष्कर्ष अंकित किया कि वादीगण की शामलाती खातेदारी खसरा नम्बर 29 तथा 109/1104 है तथा वर्तमान में जो रास्ता का कार्य चल रहा है, वह उस स्थल से वादीगण की भूमि 12–13 जरीब दक्षिण दिशा में स्थित है। इस प्रकार वादीगण का वाद पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व वाद संख्या 73/2001 वागाराम वगैरा प्रतिवादी ग्राम पंचायत कृष्णगंज में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2013 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली